अध्यादेश का सारांश

उत्तर प्रदेश स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र स्कूल (फीस का रेगुलेशन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020

- उत्तर प्रदेश स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र स्कूल (फीस का रेगुलेशन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 17 जून, 2020 को जारी किया गया। यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र स्कूल (फीस का रेगुलेशन) एक्ट, 2018 में संशोधन करता है। एक्ट में उत्तर प्रदेश राज्य के स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र स्कूलों में फीस के रेगुलेशन का प्रावधान है। अध्यादेश राज्य सरकार को असामान्य परिस्थितियों, आकस्मिक स्थितियों या जनहित में स्कूल की फीस को रेगुलेट करने की अनुमति देता है। इसके अंतर्गत मौजूदा अपीलीय अथॉरिटी के स्थान पर नई प्रमंडलीय स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र स्कूल अपीलीय अथॉरिटी बनाई जाएगी।
- **फीस तय करना:** 2018 का एक्ट मान्यता प्राप्त स्कूलों को इस बात की अनुमति देता है कि वे चक्रवृद्धि आधार (कंपाउंडेड बेसिस) पर मौजूदा विद्यार्थियों की वार्षिक फीस में संशोधन कर सकते हैं। एक मान्यता प्राप्त स्कूल वह होता है जिसे राज्य में संचालन के लिए बोर्ड द्वारा मान्यता दी जाती है। एक्ट के अंतर्गत सूचीबद्ध बोर्ड में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, (ii) माध्यमिक शिक्षा परिषद या बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश, (iii) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और (iv) भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद।
- एक्ट के अंतर्गत फीस में बढ़ोतरी निम्नलिखित के जोड़ या योग से अधिक नहीं होनी चाहिए: (i) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में हालिया वार्षिक वृद्धि, और (ii) विद्यार्थियों से वसूली गई मौजूदा फीस का पांच प्रतिशत। स्कूल नए विद्यार्थियों की शुरुआती फीस को तय करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि बाद के वर्षों के लिए इन विद्यार्थियों की फीस में बढ़ोतरी मौजूदा विद्यार्थियों की फीस बढ़ोतरी के समान होनी चाहिए। सीपीआई समय के साथ कीमतों में औसत बदलाव को मापता है जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के एक चुनींदा बास्केट के लिए चुकाते हैं। इसका इस्तेमाल मुद्रास्फीति को मापने और जीवनयापन की लागत का अंदाजा लगाने के लिए किया जाता है।
- अध्यादेश राज्य सरकार को असाधारण परिस्थितियों या आपात स्थितियों के दौरान मौजूदा और नए विद्यार्थियों की फीस को रेगुलेट करने की अनुमति देता है, जैसे: (i) महामारी, (ii) प्राकृतिक आपदाएं, और (iii) युद्ध या क्रांति। जब तक असाधारण परिस्थितियां कायम रहेंगी, ऐसे रेगुलेशंस लागू रहेंगे, या तब तक लागू रहेंगे, जब तक ऐसा करना जनहित में उपयुक्त है।
- **जिला फी रेगुलेटरी कमिटी:** एक्ट में राज्य के प्रत्येक जिले में जिला फी रेगुलेटरी कमिटी का प्रावधान है। कमिटी के पास निम्नलिखित शक्तियां हैं: (क) स्वीकृत स्तर से अधिक फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पर फैसला लेना, और (ख) बढ़ी हुई फीस, कैपिटेशन फीस, अनिवार्य रूप से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने इत्यादि पर विद्यार्थियों/गार्जियन्स/पेरेंट-टीचर एसोसिएशन की शिकायतों को सुनना। कमिटी के फैसले के खिलाफ अगर किसी स्कूल या व्यक्ति को कोई शिकायत है तो वह उसके फैसले के खिलाफ 30 दिनों के भीतर राज्य स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र स्कूल अपीलीय अथॉरिटी (एसएसएफआईएसए) में अपील कर सकता है। अध्यादेश एसएसएफआईएसए के स्थान पर नई प्रमंडलीय स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र स्कूल अपीलीय अथॉरिटी (डीएसएफआईएसए) बनाता है।
- **राज्य प्रमंडलीय स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र स्कूल अपीलीय अथॉरिटीज़:** एक्ट में प्रावधान है कि राज्य सरकार एक अपीलीय अथॉरिटी नियुक्त करेगी जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के पूर्व

अनूप रामाकृष्णनन
anoop@prsindia.org

18 अगस्त, 2020

न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। यह अथॉरिटी किसी संस्था या व्यक्ति की अपील की सुनवाई करेगी। यह एसएसएफआईएसए के तौर पर काम करेगी, जब तक कि राज्य सरकार कोई अलग अथॉरिटी को अधिसूचित नहीं करती। अध्यादेश एसएसएफआईएसए के स्थान पर राज्य के सभी प्रमंडलों में डीएसएफआईएसए का प्रावधान करता है। प्रमंडल कई जिलों की एक प्रशासनिक इकाई होता है। प्रमंडलीय अथॉरिटी में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) आयुक्त के रूप में प्रमंडलीय अध्यक्ष, (ii) सदस्य के रूप में अतिरिक्त निदेशक, कोषागार, और (iii) सदस्य सचिव के रूप में प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक, शिक्षा। डीएसएफआईएसए के पास सिविल अदालत और अपीलीय अदालत (जब वह अपीलों की सुनवाई करेगा) की शक्तियां होंगी जोकि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत प्रदत्त हैं। उसके फैसले अंतिम होंगे।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।